UPSD040080422026

Warrant or Summons Criminal Case/6835/2026

न्यायालय अपर सिविल जज(जू0 डि0),कक्ष सं०–01, सिद्धार्थनगर।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह––––बनाम–––महेश

दिनांक 21.05.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी उपस्थित व अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित।

प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में कुछ त्रुटि के कारण प्रार्थी अपना वाद वापस लेना चाहता तथा परिवादी परिवाद उपरोक्त पर बल नहीं देना चाहता है व ओरिजनल चेकबुक वापस लेना चाहता है और उपरोक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में परिवाद उपरोक्त को न्यायहित में निस्तारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद व ओरिजनल चेकबुक को वापस किये जाने की याचना की गयी है। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त परिवादी परिवाद अन्तर्गत धारा 280 बी.एन.एस.एस./257 सी.आर.पी.सी. के तहत वापस किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आदेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०–01
सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड– यूपी 4779